कार्यवृत्त

मंगलवार, 23 माघ, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 12 फरवरी, 2019)

खण्ड–53
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2019 को जनपद हरिद्वार के रूड़की स्थित झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के सौ से अधिक लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहरीली शराब से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना अत्यन्त दुखद है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें। परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये। जिससे व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने पुनः कहा कि प्रश्नकाल होने दें। इस पर नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर उक्त सूचना पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे। जिससे व्यवधान होने लगा।

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विषय निःसंदेह अत्यन्त गम्भीर है, इसके सम्बन्ध में वे आज आज की कार्यसूची की मद संख्या 22 के अन्तर्गत वक्तव्य दे देंगे । परन्तु विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करते रहे। इस पर श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि वे इस सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन रहे हैं।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जनपद हरिद्वार के रूड़की स्थित थाना झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना पर विचार व्यक्त किये।

निम्नांकित मा0 सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए :–

1. श्रीमती ममता राकेश,
2. श्री प्रीतम सिंह,
3. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल,
4. श्री करन माहरा,
5. श्री हरीश सिंह,
6. श्री मनोज रावत,
7. हाजी फुरकान अहमद,
8. श्री राजकुमार तथा
9. श्री आदेश सिंह चौहान।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया। संसदीय कार्य मत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए 'वेल' में आ गये जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम–310 की उक्त सूचना पर अपना विनिश्चय दे रहे हैं। इस पर विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–310 के अन्तर्गत सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत दिनांक 07 फरवरी, 2019 को घटित जहरीली शराब से मृत्यु के सम्बन्ध में दी गई सूचना को ग्राह्यता पर सुनने का निर्देश दिया है। वस्तुतः यह दुखद घटना अत्यन्त हृदय विदारक है। प्रथमतः मैं इस घटना में सभी मृत आत्माओं के प्रति हार्दिक संवेदना एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सम्पूर्ण प्रदेश इस दुःखद घटना से व्यथित हैं।

मेरा अभिमत है कि शराब के प्रति जन जागरूकता अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए एक व्यापक जन सहभागिता युक्त अभियान की नितान्त आवश्यकता है, जिससे कि शराब सेवन के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति पर अपेक्षित रोक लग सके एवं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इस दुःखद घटना के लिए सम्पूर्ण प्रदेश एवं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के आलोक में यह आवश्यक एवं समसामयिक है कि इस माननीय सदन की एक समिति घटना स्थल का स्थलीय अध्ययन करें और इस प्रकरण के विभिन्न घटकों/अवयवों यथा शराब का अवैध रूप से बनाने, आपूर्ति एवं असामाजिक तत्वों की संलिप्तता, समस्या के निराकरण के लिए दीर्घकालिक निदान प्रक्रिया एवं सामाजिक संचेतना जागृत करने के लिए सुझाव देगी। यह समिति यह भी सुझावित कर सकेगी कि शोक संतप्त परिवारों के लिए राज्य सरकार तात्कालिक एवं दीर्घकालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी संस्तुतियां देगी। यह समिति अपनी जो भी संस्तुतियां देगी, वह मा0 सदन के सम्मुख भी प्रस्तुत की जायेगी।

मैं राज्य सरकार को भी निर्देशित करता हूँ कि वह एक बहुआयामी योजना जिसमें इस जहरीली शराब से पूर्ण मुक्ति सम्भव हो सके तत्काल प्रस्तुत करें एवं प्रशासनिक तंत्र को भी स्पष्ट निर्देश दिये जाये कि ऐसी घटनायें घटित न हो एवं इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की स्वतः स्पष्ट प्रक्रिया भी निर्धारित की जाय।

उक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे। ।

उक्त विनिश्चय से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य 'वेल' में आ गये जिससे घोर व्यवधान होने लगा। घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं।

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेश में शिक्षा विभाग में नियुक्त शिक्षकों को वर्षों से दिये जाने वाले यात्रा अवकाश को बन्द किये जाने से शिक्षको में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट स्थित विपिन त्रिपाठी राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण न होने तथा अन्य समस्याओं का समाधान न होने से क्षेत्रीय जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के रा0इ0 कालेज उड़ामांडा के भवन की जीर्ण शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

4.	श्री गणेश जोशी	सेवारत सैनिकों / सेवानिवृत सैनिकों के लिये जनपद स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा समस्याओं को प्रभावी रूप से अनुश्रवण न किये जाने के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**
5.	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के रा0प्रा0वि0 दौली के जीर्ण शीर्ण भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत जामुनवाला एवं कैन्ट एरिया के मध्य नून नदी पर वर्ष 2006 से लम्बित मोटर सेतु का निर्माण अब तक न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7.	श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक में पटवारी चौकी में चल रही तहसील के लिये खनस्यू में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने व तहसील में पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2019) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा ने घोषित किया किः–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2018–2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का पैतीसवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिनारसी में श्मशान घाट की चार दीवारी का निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री विनोद पुत्र श्री ईश्वरदत्त, ग्राम–बिनारसी, पो०–चुड़ियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में अगलाड़ व अन्य सहायक नदियों से काश्तकारों की उपजाऊ कृषि भूमि के कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में" श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम गवाणा पो0 भवान, जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत देहरादून–सुवाखोली–भवान–मोरियाणा–नगुण मोटर मार्ग के मध्य मोरियाणा अथवा क्वार्दा–डडोली के आस–पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में" श्री राम सिंह बुढ़ान पुत्र श्री शूरवीर सिंह, ग्राम डडोली पो0 नागराजाधार थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कण्डीसौड़ में वन विश्राम गृह निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री बुद्धी सिंह बिष्ट पुत्र श्री करण सिंह, ग्राम धरवाल गांव पो0 छाम, थौलधार,जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी पम्पिंग योजना के पुनर्गठन न होने से ग्राम टिपरी व गेवली चौरियारधार में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से न होने के सम्बन्ध में" श्री महाजन सिंह पंवार, ग्राम व पो0 टिपरी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र टिहरी के ग्राम करास कफलना की वन विभाग के बांज के जंगल की तरफ से गांव की खेती की सुरक्षा के लिए तारबाड़–घेरबाड़ करवाने के सम्बन्ध में" श्री भगवान सिंह पंवार, ग्राम करास, पो0 अंजनीसैंण, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र टिहरी के ग्राम जाखणीधार कोश्यार अखोड़ीसैण में वन विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के परिवहन विभाग द्वारा पास न होने से सड़क दुर्घटनाओं में मृतक परिवारों को मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में" श्री जयपाल सिंह, ग्राम अखोड़ीसैण, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र देहरादून, तहसील– विकासनगर, वि०ख० सहसपुर के ग्राम पंचायत गुजराड़ा करनपुर के अन्तर्गत जामुनवाला एवं कैंट एरिया के मध्य नून नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राजेन्द्र सिंह कुँवर पुत्र स्व० श्री श्याम सिंह कुँवर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम सभा ल्वाड–डोबा के तोक बनेलिया में क्वैरखाव नदी में भू–कटाव को रोकने हेतु सीमेन्ट के ब्लाक व चैकडाम निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह ग्राम–ल्वाड़–डोबा पो0–हरीशताल जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम सभा पतेलिया मे नरतोला से पतेलिया पेयजल लाईन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रताप सिंह पडियार पुत्र श्री तिलोक सिंह, ग्राम– पतेलिया, पो0–नरतोला, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रा0 सा0 स्वास्थ्य केन्द्र भीमताल में अल्ट्रासाउण्ड, एक्स–रे व चिकित्सकों के सम्बन्ध में" श्री पूरन चन्द्र बृजवासी पुत्र श्री चन्द्रशेखर, वार्ड न0–3 भीमताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने ''हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019'' को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री हरीश सिंह की कुल 03 सूचना प्राप्त हुई हैं। इनमें से वे श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा श्री हरीश सिंह की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के अन्तर्गत कि0मी0 59.440 से 65.000 के मध्य चम्बा बाईपास हेतु ग्राम सभा दिखोल गांव के काश्तकारों को एक समान प्रतिकर भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–58 की सूचना पर माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

मा0 सदस्य श्री विनोद कण्डारी ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दिये गये अभिभाषण के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा मा0 सदस्य श्री विनोद कण्डारी के भाषण से आरम्भ हुई।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया तथा विचार व्यक्त किये।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल के भाषण के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 34 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल के भाषण से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री चन्दन राम दास
2. श्री धन सिंह नेगी
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार
4. श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण
5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
6. श्री मुकेश सिंह कोली **के भाषण के मध्य 03:00 बजकर 55 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।**
7. श्री सुरेश राठौर
8. श्री देशराज कर्णवाल
9. श्री भरत सिंह चौधरी

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

04:00 बजकर 34 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

सोनाली नदी के बांये किनारे पर रू0 2260.57 लाख की लागत से तटबन्ध निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़े जाने से क्षेत्र के 12 ग्रामों में आगामी वर्षा ऋतु में जानमाल का घोर संकट उत्पन्न होने विषयक दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–09 के सम्बन्ध में कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' के भाषण से आरम्भ हुई। सिंचाई मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

गंगा नदी के तटबन्ध के निर्माण के समय नदी तटबन्ध से 2 से 3 कि0मी0 दूर होने का गलत उल्लेख होने तथा बांध के ध्वस्त हो जाने से क्षेत्र के 15 ग्रामों को जानमाल का गम्भीर खतरा होने विषयक दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के सम्बन्ध में कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' के भाषण से आरम्भ हुई। सिंचाई मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल की सूचना जो उत्तराखण्ड के जनपद हरिद्वार में नशाबन्दी/शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना, जो जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ लांजी पोखनी द्विंग सड़क निर्माण की मांग के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 05:00 बजे अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।